न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण सं. 06/2017 दायर दिनांक 15/11/2017

1. ब्रहमा पिता हजारी जाति बैरवा निवासी नाहरगढ तहसील माण्डलगढ

प्रार्थी

बनाम

1. विरेन्द्र सिंह पिता भंवर सिंह राजपुत निवासी तलावदा तहसील डूगंला जिला चित्तौड़गढ

अप्रार्थी

अधिवक्ता प्रार्थी – सांवरमल रेवारी अधिवक्ता अप्रार्थी त्रिद्दतुराज सिंह

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी0) रा0 टी0 एक्ट

–

निर्णय दिनांकः 05/09/2019

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई उभय पंक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित है। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ब्रहमा पिता हजारी जाति बैरवा निवासी नाहरगढ तहसील माण्डलगढ पेशा कृषि ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया है कि उसके नाम ग्राम थलखुर्द प0 हल्का थलकलां तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में स्थित आराजी न0 414/72 रकवा 5 वीघा व आराजी नम्वर 419/72 रकवा 4 वीघा कुल किता 2 कुल रकवा 9 वीघा भूमि स्थित है। जो कि खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि पर विरेन्द्र सिंह पिता भंवर सिंह राजपुत निवासी तलावदा तहसील डूगंला जिला चित्तौड़गढ ने पटवारी हल्का थलकलां के आराजियात ग्राम थलखुर्द के आराजी न0 414/72 रकवा 5 वीघा व आराजी नम्वर 419/72 रकवा 4 वीघा कुल किता 2 कुल रकवा 9 वीघा भूमि पर जवरन कब्जा कर रखा है। उक्तानुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 वी रा0 टि0 ए0 के तहत दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नियमानुसार जरिये नोटिस तलव किया गया । अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री त्रिद्दतुराज सिंह ने अधिकार पत्र पेश किया है जो कि शामिल पत्रावली है। अधिकार पत्र पेश करके जवाव हेतु वकील अप्रार्थीगण ने अवसर चाहा जो काफी अवसर दिये जाने के वाद भी जवाव पेश नहीं किया इस लिये अप्रार्थी के विरूध

तहसीलदार
माण्डलगढ

2–अगर दरख्वास्त देहन्दा प्रतिलिपी डाक से मंगवाना ...

Scanned with CamScanner

दिनांक 17.07.2019 जवाब का अवसर समाप्त किया गया। तथा प्रार्थी द्वारा उक्त मामले में पत्थरगढी का मौका पर्चा प्रस्तुत किया एसी स्थिति में संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक के मौके पर्चे की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किये जाने योग्य है। अनुसुचित जाति की कृषि भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों का कब्जा करना कानूनन न्यायोचित नही है तथा अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत नियम विरुद्ध है।

अतः आदेश दिया जाता है उक्त आराजी न0 414/72 रकबा 5 बीघा व आराजी नम्बर 419/72 रकबा 4 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीघा पर से अप्रार्थी को बेदखल कर भूमि का कब्जा राज लेकर प्रार्थी को सगलाया जाने हेतु भू0 अभि0 नि0 काछोला को लिखा जावें। यदि मौके पर कब्जा सम्भलाते वक्त कानुन व्यवस्था भंग होने का अन्देशा हो तो थानाधिकारी काछोला को लिखा जाये। भू0 अभि0 नि0 काछोला द्वारा पुलिस जाप्ता की मांग की जावे तो आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली नम्बर से कम होकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 05.09.2019 को सरे-आम इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार
माण्डलगढ

(गोवर्धन लाल [illegible])
तहसीलदार माण्डलगढ़
जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner